STATUS REPORT ON BEHALF OF

MP POLLUTION CONTROL BOARD AS ON 02.08.2023

In the Matter of

Original Application No. OA 87/2022

Sarthak Tomar

Vs.

State of M.P & Others.

INSPECTION REPORT

Action taken report of Municipal solid waste dump site Mandideep, District Raisen (M.P.) in compliance of the direction issued by Hon'ble NGT in the Original Application No. 87/2022 (Sarthak Tomar Vs Government of M.P. & Ors).

Hon'ble NGT (CZ), Bhopal vide its order dated 20th April, 2023 in the OA no. 87/2022 "Sarthak Tomar Vs Government of M.P. & Ors" directed in para as under :

On the request of the learned counsel Sh. Sachin K Verma, Adv, the matter is adjourned. Reply be filed before the next date of hearing. Learned counsel for SPCB, Ms. Parul Bhadoria, Adv has submitted that actions by the MPPCB are being taken after giving an opportunity of hearing and report will be filed before the next date of hearing.

- For the execution of direction passed by Hon'ble NGT dated 10th January 2023 and 13th March 2023 for imposing Environmental compensation for the period 01/07/2020 to 31/12/2022 for violating the provision of Solid Waste Management Rules, 2016, Board has imposed Environmental compensation of Rs. 60.00 Lakhs vide letter dated 06th March 2023 and action taken report was submitted before the Hon'ble NGT.
- Afterwards, in compliance of the directions given by Hon'ble NGT on dated 13th March 2023, Board has issued a letter for opportunity of hearing to Chief Municipal Officer, Municipal Council Mandideep, District – Raisen vide letter dated 13th April, 2023. Copy of letter enclosed as **Annexure- 01.**
- In reference to opportunity of hearing, a meeting was held on dated 17/04/2023 and minutes of meeting is enclosed as **Annexure-02** and in compliance of the decision taken in the meeting a letter was issued to Chief Municipal Officer, Municipal Council Mandideep, District – Raisen vide letter dated 25th April, 2023. Copy of letter enclosed as **Annexure- 03.**
- As per the decision taken during the meeting, board has granted 02 months time to submit progress report regarding allotment of land for the disposal of municipal solid waste and disposal of accumulated legacy waste on site but as on date no progress report has been submitted by Municipal Council, Mandideep. A letter has been issued by Regional Office, Mandideep in this regards is enclosed as **Annexure-04.**
- In reference to ROMPPCB, Mandideep letter dated 21/06/2023 (**Annexure-04**), the Municipal Council Mandideep has submitted the reply vide letter dated 04/07/2023 is enclosed as **Annexure-05.** In this regards Officers of the ROMPPCB, Mandideep visited the Municipal Solid Waste Dumping Site on dated 02/08/2023 along with Officers of the Municipal Council, Mandideep. At the time of inspection Municipal Council's Officers informed that :

(i) District Collector Raisen vide order dated 26/05/2023 has allotted 6.07 hectare land at Khasra No. 203, at village – Gurariya Tehsil Goharganj, District - Raisen for solid waste management by but demarcation and possession of land is pending till now.

(ii) Municipal Council Mandideep invited e-tender for the disposal of legacy waste but selection of contractor for the aforesaid work is not finalized till date.

- During the visit on dated 02/08/2023, it has been observed that only material recovery centre (MRF) was in operation and municipal solid waste is being dumped, as earlier.

02 months time given by board as per the decision taken during meeting held on dated 17/04/2023, for submission of progress report regarding allotment of land for the disposal of municipal solid waste and disposal of accumulated legacy waste, already completed but no ground progress has been observed till now apart from allotment (no possession) of land. Since Municipal Council Mandideep has not completed work within timeline given by the Board. Hence Environmental Compensation may be imposed.

Aditya Lange,
Assistant Engineer (C.)
ROMPPCB, Mandideep

(Abhay Saraf)
Regional Officer
MPPCB, Mandideep

Annexure-01

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल-462016
☎ (0755) 2464428, 2466191, e-mail: it.mppcb@rediffmail.com

क्रमांक 805 /न.ठो.अ./मुप्रनिबो/2023, भोपाल, दिनांक 13/04/2023

प्रति,

मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिक परिषद,
मण्डीदीप,
जिला- रायसेन (म.प्र.)।

विषय :- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल बेंच के प्रकरण क. 87/2022 द्वारा दिनांक 13/03/2023 को पारित आदेश के अनुपालन बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल द्वारा प्रकरण क्र. 87/2022 (सार्थक तोमर विरूद्ध म.प्र. शासन व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 13/02/2023 के अनुपालन में मण्डीदीप नगरपालिका क्षेत्र में नगरीय ठोस अपशिष्टों का डिस्पोजल नियमानुसार (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में उल्लेखित प्रावधानों अनुसार) नही किए जाने के कारण क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मण्डीदीप के प्रतिवेदन के अनुसार बोर्ड द्वारा रू. 60.00 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई थी एवं बोर्ड के पत्र कमांक 547 दिनांक 06/03/2023 द्वारा उक्त राशि जमा करने हेतु निर्देश पत्र आपको प्रेषित किया गया था किन्तु आपके द्वारा आज दिनांक तक उक्त राशि बोर्ड कार्यालय में जमा नहीं की गई है और ना ही कोई आपत्ति या जवाब प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण में माननीय ट्रिब्यूनल दिनांक 13/03/2023 को पारित आदेश में आपको सुनवाई का अवसर देने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः इस कार्यालय द्वारा नगर पालिका परिषद, मण्डीदीप पर अधिरोपित की गई पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environmental Compensation) रूपये 60 लाख पर आपको अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कार्यालय म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल में दिनांक 17/04/2023 सायं 4 बजे तिथि निर्धारित की जा जाती है। आप आवश्यक दस्तावेजों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते है।

कृपया विदित हो प्रकरण में दिनांक 20/04/2022 को सुनवाई की आगामी तिथि निर्धारित है। जिसमें एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।

सलग्न :- उपरोक्तानुसार।

सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत

13/4/23

कार्यपालन यंत्री

प्रतिलिपिः-

क्षेत्रीय अधिकारी, समस्त क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मण्डीदीप की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

AE
21/4/23

R.O. M.P.P.C.B. MANDIDEEP
I.W. No 605
24/4/23

msw.hindi52

Annexure-02

कार्यवाही विवरण

विषय :- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल बेंच के प्रकरण क्र. 87/2022 द्वारा दिनांक 13/03/2023 को पारित आदेश के अनुपालन एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति पर सुनवाई का अवसर बावत।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल द्वारा प्रकरण क्र. 87/2022 (सार्थक तोमर विरूद्ध म.प्र. शासन व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 13/02/2023 के अनुपालन में मण्डीदीप नगरपालिका क्षेत्र में नगरीय ठोस अपशिष्टों का नियमानुसार डिस्पोजल (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में उल्लेखित प्रावधानों अनुसार) नही किए जाने के कारण एवं क्षेत्रींय अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मण्डीदीप द्वारा किये गये निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर दिनांक 02.03.2023 को समिति की अनुशंसा अनुसार बोर्ड द्वारा रू. 60.00 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environmental Compensation) अधिरोपित की गई थी। बोर्ड द्वारा नगर पालिका परिषद, मंडीदीप को पत्र क्रमांक 547 दिनांक 06/03/2023 द्वारा उक्त राशि जमा करने हेतु निर्देश पत्र प्रेषित करते हुए एक्शन टेकन रिर्पोट माननीय अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गई थी।

माननीय अधिकरण के दिनांक 13/03/2023 को पारित आदेश के अनुपालन में म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आगामी सुनवाई के पूर्व नगर पालिका परिषद, मंडीदीप पर अधिरोपित की गई पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environmental Compensation रूपये 60 लाख) पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सदस्य सचिव की उपस्थिति में दिनांक 17/04/2023 को तिथि निर्धारित कर अवसर दिया गया। उक्त दिनांक 17/04/2023 को मुख्य नगर पालिका अधिकारी, मंडीदीप श्री सुधीर उपाध्याय ने पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में सदस्य सचिव की उपस्थिति मे समिति के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत किये एवं संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए, जिसके मुख्य अंश निम्नानुसार है :-

- नगर पालिका परिषद, मंडीदीप द्वारा ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं उचित प्रबंधन करने के लिए जिला कलेक्टर, रायसेन द्वारा दिनांक 13/04/2023 को प्रस्ताव पारित कर ठोस अपशिष्टों के निपटान हेतु नगर पालिका परिषद, मंडीदीप को ग्राम-गुराड़िया में भूमि आवंटन की स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त संबंध में परिषद द्वारा आश्वस्त किया गया कि आवंटन पत्र प्राप्त होते हुए ठोस अपशिष्टों के निपटान संबंधी कार्यवाही की जावेगी।

- नगर पालिका परिषद, मंडीदीप द्वारा जानकारी दी गई कि लीगेसी वेस्ट के प्रबंधन हेतु राशि स्वीकृत हो गयी है। पत्र के माध्यम से आश्वस्त किया गया कि, वर्तमान में अस्थाई ट्रेचिंग ग्राउण्ड (जो कि वन विभाग के अधीनस्थ है) पर कचरे के निपटान हेतु वन विभाग से स्वीकृति प्राप्त कर लीगेसी वेस्ट के कार्य हेतु निविदा जारी किये जाने संबंधी कार्यवाही की जा रही है।
- नगर पालिका परिषद, मंडीदीप के मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा माननीय अधिकरण के समक्ष विचाराधीन प्रकरण क्र. 87/2022 में पारित आदेश दिनांक 13/03/2023 के अनुपालन में म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निकाय पर अधिरोपित की गई पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रू. 60 लाख को समाप्त किये जाने या संशोधित किये जाने के संबंध में लिखित में आवेदन पत्र प्रस्तुत भी किया गया है।

Scanned by CamScanner

नगर पालिका परिषद, मंडीदीप के मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री सुधीर उपाध्याय द्वारा अपना पक्ष रखते हुए म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव महोदय के समक्ष बताया कि ठोस अपशिष्टों के निपटान हेतु नगर पालिका परिषद, मंडीदीप हेतु एक माह के भीतर पृथक भूमि आवटंन कराये जाने एवं साईट पर एकत्रित लीगेरी वेस्ट का छः माह के भीतर निपटान किए जाने के संबंध में आश्वस्त किया गया।

बैठ्क में उपस्थित, क्षेत्रीय अधिकारी, मंडीदीप श्री अभय सराफ द्वारा जानकारी दी गई कि, नगर पालिका परिषद, मंडीदीप द्वारा डिस्पोजल साईट पर फेंसिंग नही किए जाने एवं ठोस अपशिष्टों के निपटान एमआरएफ/प्रोसेसिंग नही किया जा रहा एवं न ही ठोस अपशिष्ट से प्लास्टिक वेस्ट का पृथक्करण किया जा रहा है। ठोस अपशिष्टों के संग्रहण स्थल के निकट कलियासोत नदी बहती है, जो कि आगे बेतवा नदी में मिलती है। जिसके कारण अपशिष्टों से उत्पन्न लीचेट के वर्षाकाल में नदी के जल में मिलना सम्भावित है साथ ही क्षेत्रीय अधिकारी, मंडीदीप द्वारा बताया गया कि ठोस अपशिष्टों के डिस्पोजल साईट पर प्रायः आग लगने की घट्ना होती है। उक्त क्षेत्र औद्योगिक एवं रहवासी क्षेत्र के निकट होने से वायु प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कहा गया कि, नगर पालिका परिषद, मंडीदीप द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं डिस्पोजल की स्थिति में कोई सुधार नही हुआ है। वर्तमान स्थिति पूर्व मे माननीय ग्रीन टिव्यूनल द्वारा निर्धारित की गई समिति के द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 15.12.2022 के अनुसार ही है। अतः नगर पालिका परिषद पर अधिरोपित की गई पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की राशि में कमी की जाना या संशोधित किया जाना तर्कसंगत नही है। परन्तु नगर पालिका अधिकारी द्वारा प्रस्तुत कथन एवं प्रतिवेदन के अनुसार उनके द्वारा आवश्यक स्वीकृति हेतु कार्यवाही की गई है तथा लीगेसी वेस्ट प्रबंधन हेतु राशि स्वीकृति हो गई एवं टेण्डर की प्रकिया की जा रही है तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु भूमि का आवंट्न भी हो गया है।

अतः उपरोक्त के परिपेक्ष्य मे अधिरोपित की गई पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की राशि रूपये 60 लाख को जमा करने हेतु 02 माह के लिये स्थगित किया जा सकता है। नगर पालिका अधिकारी मंडीदीप 02 माह में की गई कार्यवाही का प्रगति प्रतिवेदन बोर्ड को प्रस्तुत करेंगे जिससे माननीय ग्रीन ट्रिव्यूनल को अवगत कराया जावेगा।

दिनांक 17.04.2023

(डॉ. टी.सूफी खान)
वैज्ञानिक

(एस.पी. झा)
कार्यपालन यंत्री

(अभय सराफ)
क्षेत्रीय अधिकारी, मण्डीदीप

(ए.ए. मिश्रा)
डायरेक्टर पर्यावरण (तक.)

(चन्द्रमोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

Scanned by CamScanner

Annexure-03

R.O.M.P.P.C.B. I.W.No. 660 Date 2/5/23 MANDIDEEP

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कालोनी, भोपाल–462016

☎ (0755) 2464428, 2466191, e-mail: it.mppcb@rediffmail.com

क्रमांक 922 /न.ठो.अ./मुप्रनिबो/2023, भोपाल, दिनांक 25-4-2023

प्रति,

श्री सुधीर उपाध्याय,
मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिक परिषद, मण्डीदीप,
जिला– रायसेन (म.प्र.)।

विषय :– **माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल बेंच के प्रकरण क्र. 87/2022 द्वारा दिनांक 13/03/2023 को पारित आदेश के अनुपालन में सुनवाई का अवसर दिये जाने बाबत्।**

संदर्भ :– दिनांक 17/04/2023 की पर्यावरण क्षतिपूर्ति संबंधी समिति की बैठक।

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय अधिकरण के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नगर पालिका परिषद, मण्डीदीप पर ठोस अपशिष्ठ नियम, 2016 के प्रावधानों के पालन नहीं किये जाने के कारण अधिरोपित की गई पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (राशि रू. 60.00 लाख) पर नगर पालिका परिषद, मंडीदीप को अपना पक्ष रखने/सुनवाई का अवसर देने हेतु बोर्ड द्वारा दिनांक 17/04/2023 को बोर्ड कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया गया था।

उपरोक्त संबंध में दिनांक 17/04/2023 को आपके द्वारा अपना पक्ष रखते हुए अवगत कराया गया कि, नगर पालिका परिषद, मंडीदीप द्वारा ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं उचित प्रबंधन करने के लिए जिला कलेक्टर, रायसेन द्वारा दिनांक 13/04/2023 को प्रस्ताव पारित कर ठोस अपशिष्टों के निपटान हेतु नगर पालिका परिषद, मंडीदीप को ग्राम–गुराड़िया में भूमि आवंटन की स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त संबंध में परिषद द्वारा आश्वस्त किया गया कि आवंटन पत्र प्राप्त होने पर ठोस अपशिष्टों के निपटान संबंधी कार्यवाही की जावेगी। साथ ही जानकारी दी गई कि स्थल पर एकत्रित लीगेसी वेस्ट के प्रबंधन हेतु राशि स्वीकृत हो गयी है। इस हेतु निविदा जारी करने की कार्यवाही की जा रही है। छः माह में लीगेसी वेस्ट का निपटान सम्भावित है। इसके साथ ही आप द्वारा नगरीय निकाय, मंडीदीपर पर अधिरोपित की गई पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रू. 60 लाख को समाप्त किये जाने या संशोधित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 15/12/2022 को समिति द्वारा स्थल का निरीक्षण एवं वर्तमान स्थिति के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मंडीदीप द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में निकाय द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं डिस्पोजल की स्थिति में सुधार नही होने एवं स्थिति यथावत होने का उल्लेख किया है।

उक्त स्थिति में निकाय पर अधिरोपित की गई पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की राशि कम की जाना या संशोधित किया जाना तर्कसंगत नही है। अपितु आपके द्वारा प्रस्तुत कथन एवं प्रतिवेदन के आधार पर अधिरोपित की गई पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रू. 60 लाख को जमा करने हेतु 2 माह के लिए स्थगित किया जाता है। आप उक्त संबंध में 2 माह में की गई कार्यवाही का प्रगति प्रतिवेदन बोर्ड में प्रस्तुत करें, जिससे माननीय एनजीटी को अवगत कराया जा सकें।

(चन्द्रमोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव

AE

प्रतिलिपिः–

~~क्षेत्रीय~~ अधिकारी, ~~स्थल~~ क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मण्डीदीप की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

27/04/23

msw.hindi63

Annexure-04

क्षेत्रीय कार्यालय
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
प्लाट नं. 28 सी, सेक्टर न्यू औद्योगिक क्षेत्र, मंडीदीप जिला–रायसेन

Phone No. 7480-292564, E-mail :- romppcbmandideep@gmail.com

LiFE Lifestyle for Environment

क्रमांक 1032/क्षेका/प्रनिबो/2023 मंडीदीप, दिनांक 21/6/2023

प्रति,

मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद मंडीदीप,
जिला – रायसेन (म.प्र.)।

विषयः– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल बेंच के प्रकरण क्रं. 87/2022 (सार्थक तोमर विरूद्ध म.प्र. शासन व अन्य) द्वारा दिनांक 20/04/2023 को पारित आदेश के अनुपालन बावत्।

संदर्भः– 1. दिनांक 17/04/2023 को बोर्ड मुख्यालय में आयोजित बैठक।
2. कार्यालय, नगर पालिका परिषद मंडीदीप जिला रायसेन का पत्र पृ. क्र. 189 दिनांक 17/04/2023
3. बोर्ड मुख्यालय का पत्र दिनांक 922 दिनांक 25/04/2023.06.21

-----00-----

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल बेंच के प्रकरण क्रं. 87/2022 (सार्थक तोमर विरूद्ध म.प्र. शासन व अन्य) द्वारा दिनांक 20/04/2023 को पारित आदेश के अनुपालन में अधिरोपित की गई पर्यावरण क्षतिपूर्ति के संबंध में आपको अपना पक्ष रखने हेतु बोर्ड मुख्यालय में दिनांक 17/04/2023 में आयोजित बैठक में आपके द्वारा प्रस्तुत कथन एवं प्रतिवेदन के आधार पर अधिरोपपित की गई पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रु. 60.00 लाख को जमा करने हेतु दो माह के लिये स्थगित किये जाने बावत सूचित किया गया था साथ ही आपके द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के संबंध में दो माह में की गई कार्यवाही का प्रगति प्रतिवेदन बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करने बावत् निर्देशित किया गया था, परंतु आपके द्वारा समयावधि बीत जाने के बाद भी आज दिनांक तक किसी भी प्रकार की कार्यवाही का प्रगति प्रतिवेदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः आपको पुनः सूचित किया जाता है कि मुख्यालय में आपके द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के संबंध में की गई कार्यवाही से तत्काल अवगत करावें। कृपया विदित हो प्रकरण की आगामी सुनवाई दिनांक 05/07/2023 को नियत है। कृपया इसे आवश्यक समझें।

(अभय सराफ)
क्षेत्रीय अधिकारी

पृ. क्रमांक 1033/क्षेका/प्रनिबो/2023 मंडीदीप, दिनांक 21/6/2023

प्रतिलिपिः–

1. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. श्री एस.पी. झा, प्रभारी एमएसडब्ल्यू शाखा, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अभय सराफ)
क्षेत्रीय अधिकारी

कार्यालय नगर पालिका परिषद मंडीदीप जिला रायसेन म0प्र0

Phon/Fax No. 07480-407022, Help Line No. 07480-231030 Email : cmomandideep@mpurban.gov.in

क्रमांक 1426/न0पा0प0/2023 मंडीदीप, दिनांक 04-07-2023

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी,
क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
प्लाट नं. 28 सी, सेक्टर न्यू औद्योगिक क्षेत्र, मण्डीदीप
जिला–रायसेन (म.प्र.) ।

R.O.M.P.P.C.B. MANDIDEEP I.W.No. 1045 Date 4/7/23

विषय :– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल बेंच के प्रकरण क्रमांक 87/2022 (सार्थक तोमर विरूद्ध म.प्र. शासन व अन्य) द्वारा दिनॉक 20.04.2023 को पारित आदेश के अनुपालन बावत्।

संदर्भ :– आपका पत्र क्रमांक/1032/क्षेका/प्रनिबो/2023, मण्डीदीप, दिनॉक 21.06.2023

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में लेख है कि, निकाय की स्थाई ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था हेतु न्यायलय कलेक्टर, जिला रायसेन के आदेश क्रमांक प्र.क्र. 11/अ–20(5)/कले./2022–23, दिनॉक 26.05.2023 **अनुसार** ग्राम गुराडिया तहसील गौहरगंज जिला रायसेन स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 203 रकवा 35.997 हेक्टेयर भूमि में रकवा 6.07 हेक्टेयर भूमि निकाय को आवंटित/हस्तांतरित की गई है **(प्रपत्र–अ संलग्न)** । उक्त संबंध में आवंटित भूमि का स्थल पर सीमांकन कराया जाकर आधिपत्य निकाय को प्रदान किये जाने हेतु निकाय द्वारा पत्र क्रमांक 890, दिनॉक 31.05.2023 अनुसार तहसीलदार, तहसील गौहरगंज को अनुरोध किया गया है तथा निकाय के पत्र क्रमांक 1345, दिनॉक 26.06.2023 अनुसार अनुविभागीय अधिकारी, अनुविभाग गौहरगंज से अनुरोध किया गया है **(प्रपत्र–ब संलग्न)** । आवंटित भूमि का निकाय को आधिपत्य प्राप्त होने के उपरान्त निकाय द्वारा शासन से स्वीकृति प्राप्त कर शीघ्र ही ठोस अपशिष्ट के निपटान हेतु स्थाई संयंत्र स्थापित कर आवासीय एवं औद्योगिक क्षेत्र का संग्रहित होने वाले कचरे का नियमानुसार उचित निपटान किया जावेगा एवं ठोस अवशिष्ट प्रबंधन कार्य अन्तर्गत निकाय द्वारा विस्तृत कार्य योजना वास्तुविद के माध्यम से तैयार करायी जा चुकी है।

मिशन संचालक, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी), नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/शा–14/स्वा.भा.मि./2023/7665, दिनॉक 25.05.2023 **(प्रपत्र–स संलग्न)** अनुसार लिगेसी वेस्ट डम्प–साईट रेमेडियेशन कार्य की निकाय को निविदा आमंत्रण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त निकाय द्वारा एच.ई.जी. इंडस्ट्रीज के पीछे 40 ब्लॉक क्षेत्र के साईड से लगी भूमि अस्थायी ट्रेचिंग ग्राउन्ड के रूप में कई वर्षो से उपयोग में ली जा रही है, जिसके लीगेसी वेस्ट के निपटान हेतु निकाय द्वारा ऑनलाईन निविदा क्रमांक 2023_UAD_280343_1, दिनॉक 31.05.2023 अनुसार निविदा आमंत्रित की गई है, जिसके अन्तर्गत निविदा दर आमंत्रण की अंतिम तिथि दिनॉक 07.07.2023 निर्धारित है **(प्रपत्र–द संलग्न)** । मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्राप्त निर्देशों के तारतम्य में निकाय द्वारा वरिष्ठ कार्यालय से स्वीकृति प्राप्त कर निविदा आमंत्रण की कार्यवाही समय–सीमा में प्रस्तावित की गई है तथा निविदा खुलने एवं दर स्वीकृति उपरान्त शीघ्र ही कार्य निकाय द्वारा प्रारंभ कराया जावेगा । चाहा गया प्रतिवेदन सादर प्रेषित है ।

संलग्न उपरोक्तानुसार ।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद मंडीदीप
जिला–रायसेन (म0प्र0)

क्रमांक/ /न0पा0प0/2023 मंडीदीप, दिनांक ....

प्रतिलिपी :–

1. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर ई–5 अरेरा कॉलोनी, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2. श्री एस.पी. झा, प्रभारी एम.एस.डब्ल्यू शाखा म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

AE 04/7/23

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद मंडीदीप

प्रपत्र - अ

न्यायालय कलेक्टर, जिला रायसेन (म.प्र.)

प्र.क.11 / अ–20(5) / कले. / 2022–23

म.प्र.शासन,जरिये–मुख्य.नगर पालिका अधिकारी,नगर पालिका परिषद मण्डीदीप, जिला रायसेन ।

विरूद्ध

सर्व साधारण ग्राम गुरारिया, तहसील गौहरगंज जिला रायसेन ।

आदेश
(पारित दिनांक26/5/2023)

मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मण्डीदीप तहसील गौहरगंज जिला रायसेन के द्वारा निर्धारित प्ररूप एक पर ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम गुरारिया तहसील गौहरगंज ज़िला रायसेन स्थित भूमि सर्वे कमांक 203 रकवा 35.997 हेक्टेयर भूमि में रकवा 6.070 हेक्टेयर भूमि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु हस्तांतरित / आवंटित किये जाने का निवेदन किया है।

प्रस्तुत आवेदन पत्र ऑनलाईन प्राप्त होने पर म.प्र.नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर निर्धारित प्ररूप पर जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु ऑनलाईन एवं मूलतः प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी, गौहरगंज को अग्रेषित कर म.प्र.नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश–2020 में विहित प्रकिया के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर जांच कराई जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

2– प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी, गौहरगंज ने उनके प्रकरण कमांक 0002 / अ–20(5) / 2022–23 ग्राम गुरारिया तहसील गौहरगंज जिला रायसेन के संलग्न निर्धारित प्रपत्र पर भूमि आवंटित किये जाने का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। प्रतिवेदन के संलग्न पटवारी प्रतिवेदन, पंचनामा अक्स, खसरा, एवं इश्तेहार की प्रति सहित ग्राम गुरारिया तहसील गौहरगंज जिला रायसेन स्थित भूमि सर्वे कमांक 203 रकवा 35.997 हेक्टेयर भूमि में रकवा 6.070 हेक्टेयर भूमि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु नगरपालिका परिषद मण्डीदीप आवंटित किये जाने के प्रस्ताव अनुशंसा सहित इस न्यायालय को प्रेषित किये है।

अनुविभागीय अधिकारी, गौहरगंज की ओर से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्रकरण म.प्र.नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश–2020 में विहित प्रावधानों एवं प्रक्रिया के तहत प्रकरण जिला नजूल निर्वर्तन समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने पर समिति के द्वारा ग्राम गुरारिया तहसील गौहरगंज जिला रायसेन स्थित भूमि सर्वे कमांक 203 रकवा 35.997 हेक्टेयर भूमि में रकवा 6.070 हेक्टेयर भूमि ठोस अपशिष्ट

कलेक्टर

प्रबंध रपालिका परिषद मण्डीदीप (म.प्र.शासन नगरीय प्रशासन विभाग) के नाम से तरित / आवंटित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतः प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी, गौहरगंज के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं जिला नजूल निवर्तन समिति(सक्षम प्राधिकारी) के द्वारा स्वीकृति उपरान्त नजूल निर्वतन निर्देश 2020 की कंडिका 16 एवं 17 में विहित प्रावधानों के ग्राम गुरारिया तहसील गौहरगंज जिला रायसेन स्थित भूमि सर्वे कमांक 203 रकवा 35.997 हेक्टेयर भूमि में रकवा 6.070 हेक्टेयर भूमि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु नगरपालिका परिषद मण्डीदीप (नगरीय प्रशासन एवं आवास) के नाम आवंटित / हस्तांतरित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

न्यायालय कलेक्टर जिला रायसेन (म.प्र.)

(अरविन्द दुबे)
कलेक्टर
जिला रायसेन

पृ.कमांक /843/ रीडर / 2023, रायसेन, दिनांक 26/5/2023

प्रतिलिपिः-

1- आयुक्त, नगरीय प्रशासन विभाग, भोपाल की ओर अग्रिम कार्यवाही सूचनार्थ प्रेषित ।

2- अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, गौहरगंज की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3- तहसीलदार गौहरगंज / नायब तहसीलदार, औबेदुल्लागंज की ओर आदेशानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4- मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद, मण्डीदीप, जिला रायसेन की ओर सूचनार्थ ।

कलेक्टर
कलेक्टर
जिला रायसेन

1049
02-6-2023

परपत्र - ब

कार्यालय नगर पालिका परिषद, मंडीदीप जिला रायसेन म0प्र0

Phone/Help Line No. 07480-405166 Email : cmomandideep@mpurban.gov.in

क्रमांक 890/नपा0प0/2023

मंडीदीप, दिनांक 31-05-2023

प्रति,

तहसीलदार,
तहसील गौहरगंज,
जिला–रायसेन म.प्र. ।

विषय :– ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) हेतु ग्राम गुराडिया भूमि सर्वे क्रमांक 203 कुल रकवा 35.997 हेक्टेयर में से 6.070 हेक्टेयर भूमि के सीमांकन बावत् ।

संदर्भ :– कलेक्टर महोदय का आदेश क्र. 843/रीडर/2023, रायसेन, दिनॉक 26.05.2023

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि, कलेक्टर महोदय जिला रायसेन द्वारा पारित आदेश क्रमांक 843/रीडर/2023 दिनॉक 26.05.2023 द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु ग्राम गुराडिया भूमि सर्वे क्रमांक 203 रकबा 35.997 हेक्टेयर में से 6.070 हेक्टेयर भूमि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु नगर पालिका परिषद मण्डीदीप (नगरीय प्रशासन एवं आवास) के नाम आवंटित/हस्तांतरित करने के आदेश पारित किये गये है ।

अतः अनुरोध है कि, स्वच्छ भारत मिशन की अति महत्तवपूर्ण योजना (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन) के शीघ्र क्रियान्वयन हेतु कुल रकवा 35.997 हेक्टेयर में से निकाय को आवंटित भूमि रकवा 6.070 हेक्टेयर का स्थल पर सीमांकन कराया जाकर आधिपत्य प्रदान करने का कष्ट करें ।

संलग्न :– कलेक्टर महोदय के आदेश क्रमांक 843/रीडर/2023, दिनॉक 26.05.2023 की छायाप्रति।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद मंडीदीप
जिला–रायसेन (म0प्र0)

पृ.क्रमांक 891/नपा0प0/2023

मंडीदीप, दिनांक 31-05-2023

प्रतिलिपी :–

1. आयुक्त महोदय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र. भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर महोदय, जिला रायसेन की ओर सादर सूचनार्थ ।
3. संयुक्त संचालक महोदय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल संभाग भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
4. अध्यक्ष महोदया, नगर पालिका परिषद मण्डीदीप, जिला रायसेन म.प्र. की ओर सादर सूचनार्थ।
5. अधीक्षण यंत्री महोदय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल संभाग भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
6. अनुविभागीय अधिकारी महोदय, अनुविभाग गौहरगंज, की ओर सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद मंडीदीप
जिला–रायसेन (म0प्र0)

O/C

प्रपत्र - स

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल
Directorate, Urban Administration & Development, M.P., Bhopal

Palika Bhawan, Near 6 No. Bus St
Shivaji Nagar, Bhopal – 462016
Tel. 0755-2558796, 2554083
Email:- neeleshdubey@mpurban.gov.i
Website: www.mpurban.gov.in

क्र./शा–14/स्व.भा.मि./2023/7665 भोपाल, दिनांक 25/05/2023

प्रति,

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका, मण्डीदीप
मध्यप्रदेश।

विषयः– स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के अंतर्गत लीगेसी वेस्ट डंपसाइट रेमेडिएशन परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निविदा आमंत्रण के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के दिशा–निर्देशों के अनुसार राज्य के नगरीय निकायों में लीगेसी वेस्ट डंपसाइट रेमेडिएशन परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना है। राज्य में इस हेतु चयनित संभागीय सलाहकार संस्था के माध्यम से निकाय की डीपीआर तैयार की जा चुकी है।

उक्त के संबंध में निकाय द्वारा प्रस्तुत डीपीआर, स्वच्छतम पोर्टल पर भरे गए CSWAP के आधार पर प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (SLTC) की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि निकाय, लीगेसी वेस्ट डंपसाइट रेमेडिएशन परियोजना के क्रियान्वयन हेतु चयनित संभागीय सलाहाकर के माध्यम से निविदा प्रपत्र तैयार कर कार्यदायी संस्था के चयन हेतु निविदा आमंत्रित करने की विधिवत कार्यवाही नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।

(अवधेश शर्मा)
मिशन संचालक
स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)
नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्य प्रदेश, भोपाल

क्र./शा–14/स्व.भा.मि./2023/7666 भोपाल, दिनांक 25/05/2023

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
2. संभागीय संयुक्त संचालक, भोपाल को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. अधीक्षण यंत्री (भोपाल) संभागीय कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मिशन संचालक
स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)
नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्य प्रदेश, भोपाल

प्रपत्र - ५

Notice Inviting e-Tenders

Notice Inviting e-Tenders Online percentage rate bids for the following work arc invited from registered Contractors and farms of repute fulfilling registration criteria. The following works and same will be received online at http://www.mptenders.gov.in. as per key dates.

Tender No.	Name of Work	Probable Amount (In Rs)	EMD Amount (In RS)	Cost of Bid Document (In Rs)	Period of Completion (In Months)
2023_UAD_280343_1	Selection of Contractor for The Work of "Legacy Waste Dumpsite Remediation through Bioremediation, Biomining and disposal of Residual waste" in Nagar Palika Parishad, Mandideep, Dist- Raisen	INR 4,59,89,350.00	INR 2,29,947.00	INR 15,000 + GST	4 Month

Event	Date	Time	Web-Link/Venue
Start of Bid Download	31.05.2023	05:00 PM	www.mptenders.gov.in
Pre-Bid Meeting	14.06.2023	11:00AM – 12:00PM	**Pre-Bid Meeting - Mandideep** Wednesday, 14 June, 2023 11:00am – 12:00pm Time zone: Asia/Kolkata Google Meet joining info Video call link: **https://meet.google.com/ebs-mdff-vga** Physical Meeting: - Chief Municipal Officer, Mandideep. Mob. +91 98268 35854 **Address:** Nagar Palika Parishad Mandideep, Mandideep Distt Raisen, Madhya Pradesh Pin- 462046
End Date of Online Bid Submission	05.07.2023	5:30 PM	Chief Municipal Officer, Mandideep. Mob. +91 98268 35854 **Address:** Nagar Palika Parishad Mandideep, Mandideep Distt Raisen, Madhya Pradesh Pin- 462046
Technical Bid Opening	07.07.2023	11:00 AM	Chief Municipal Officer, Mandideep. Mob. +91 98268 35854 **Address:** Nagar Palika Parishad Mandideep, Mandideep Distt Raisen, Madhya Pradesh Pin- 462046

Event	Date	Time	Web-Link/Venue
Financial Bid Opening	Will be provided later	Will be Provided later	Chief Municipal Officer, Mandideep. Mob. +91 98268 35854 **Address:** Nagar Palika Parishad Mandideep, Mandideep Distt Raisen, Madhya Pradesh Pin- 462046

Tender Notice Number	875
Date of Issue	31.05.2023
Tender Inviting Authority	Nagar Palika Parishad Mandideep, Dist- Raisen (MP)
Web-link	www.mptenders.gov.in

- The Besides intending to particulars in this tender are required to get enrolled/registered on the e-procurement website https://www.mptenders.gov.in and get empaneled on the sub portal of public empanelment on the above portal and sub is mandatory
- Tender documentation can be purchased from 31.05.2023 (05:00 PM) to 05.07.2023 (5:30PM) & Bid submission only be online from https://www.mptenders.gov.in by making online payment of portal fees as online processing charges last date 05.07.2023 up to 5:30 PM.
- Tender Opening Date 07.07.2023 by 11:00 AM. The bidder can participate and submit the tender having registration in the equivalent category in the Government of Madhya Pradesh.
- The brief tender notice and all the conditions and specifications can be seen in detail in the tender document.
- Amendment to NIT, if any would be published on the website, not in the newspaper.
- For details on tendering procedure through the electronics tendering system, please refer to the guidelines for using Electronic tendering System Documents available along with tender documents at the portal https://www mptenders.gov.in

President
Nagar Palika Parishad Mandideep,
Raisen (M.P.)

Chief Municipal Officer
Nagar Palika Parishad Mandideep,
Raisen (M.P.)

Signature valid
Digitally signed by Rajkishor Tiwari
Date: 2023.05.31 12:22:34 IST
Location: Madhya Pradesh-MP

GPS Map Camera
Bhopal, Madhya Pradesh, India
Unnamed Road, Industrial Area, Bhopal, Madhya Pradesh 462046, India
Lat 23.103517°
Long 77.528816°
02/08/23 05:18 PM GMT +05:30
Google

ULB CODE-802327
MATERIAL RECOVERY CENTER
(DRY WASTE PROCESSING PLANT)
OPERATED BY- MAYUR GEDAM
PLANT CAPACITY- 4 (TDP)
GPS Map Camera
Bhopal, Madhya Pradesh, India
Unnamed Road, Industrial Area, Bhopal, Madhya Pradesh 462046, India
Lat 23.103517°
Long 77.528816°
02/08/23 05:16 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Bhopal, Madhya Pradesh, India
Unnamed Road, Industrial Area, Bhopal, Madhya Pradesh 462046, India
Lat 23.103517°
Long 77.528816°
02/08/23 05:16 PM GMT +05:30
Google

स्वच्छ सर्वेक्षण 2023
स्टोर रूम
GPS Map Camera
Satlapur, Madhya Pradesh, India
3GXM+GMJ, Industrial Area, Satlapur, Bhopal, Madhya Pradesh 462046, India
Lat 23.100302°
Long 77.53525°
02/08/23 05:15 PM GMT +05:30
Google

नगर पालिका परिषद मंडीदीप, जिला–रायसेन
MATERIAL RECOVERY CENTRE
Operated By - Mayur Gedam
Plant Capacity - 4 (TPD)
Address : Ward 17, Behind HEG, 40 Block, Mandideep
कांच-4
GPS Map Camera
Satlapur, Madhya Pradesh, India
3GXM+GMJ, Industrial Area, Satlapur, Bhopal, Madhya Pradesh 462046, India
Lat 23.100302°
Long 77.53525°
02/08/23 05:15 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Satlapur, Madhya Pradesh, India
3GXM+GMJ, Industrial Area, Satlapur, Bhopal, Madhya Pradesh 462046, India
Lat 23.100302°
Long 77.53525°
02/08/23 05:14 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Bhopal, Madhya Pradesh, India
Unnamed Road, Industrial Area, Mandideep, Bhopal, Madhya Pradesh 462046, India
Lat 23.102504°
Long 77.529107°
02/08/23 05:29 PM GMT +05:30
Google

बोतल पार्क
ट्रेचिंग ग्राउण्ड
GPS Map Camera
Bhopal, Madhya Pradesh, India
Unnamed Road, Industrial Area, Bhopal, Madhya Pradesh 462046, India
Lat 23.103517°
Long 77.528816°
02/08/23 05:29 PM GMT +05:30
Google